REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्टी सं॰ डी॰ एल॰-33004/99



The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1225]नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 10, 2007/आश्विन 18, 1929No. 1225]NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 10, 2007/ASVINA 18, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2007

का.आ. 1730(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के, स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट सेक्शन के खंड को, जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण को सौंपती है।

सारणी

	2003-00	•
राष्ट्रीय	सेक्शन	लंबाई किलोमीटर में
राजमार्ग सं	ख्या	
(1)	(2)	(3)
6	रायपुर-नागपुर सेक्शन	404.800 कि.मी. से
	(दुर्ग बायपास)	405.000 कि.मी.
	छत्तीसगढ़ राज्य में	· .

[फा. सं. एनएच-14013/9/2006-पी एंड एम] प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways) NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2007

S.O. 1730(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

National Highway Number	Section /	Stretch in Kilometer
(1)	(2)	(3)
6	Raipur-Nagpur Sectior (Durg Bypass) in the State of Chhattisgarh	to Km. 404.800 to Km. 405.000

[F. No. NH-14013/9/2006-P & M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

अधिसुचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2007

का.आ. 1731(अ). केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1096(अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 में, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 4 अगस्त, 2005 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :---

क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन	राज्य सरकार का नाम
. (1)	(2)	
से संब 28 को सं. सं.	ट्रीय राजमार्ग सं. 6 [307.600 405.000 किलोमीटर तक (राय स्थान) और 238.000 किल 1.000 किलोमीटर तक (राय छोड़कर] सं. 12क, सं. 78, सं. 200, सं. 202, सं 221 जो छत्तीसगढ़ राज्य के भ र राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 111 और	पुर-नागपुर राज्य सरकार" नोमीटर से पुर-औरंग) 16, सं. 43, . 217 और ोतर स्थित है

2

[फा. सं. एनएच-14013/9/2006-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप-सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2007

S.O. 1731(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 4th August, 2005, namely :---

In the Schedule to said notification, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :----

Serial Numbe	Description of National er Highway	Name of the State Government
(1)	(2)	(3)
] ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	So much of National High- ways No. 6 [exc;uding from Km. 307.600 to of 405.000 (Raipur-Nagpur Section) and from Km. 238.000 to 281.000 (Raipur-Aurang)], No. 12A, No. 16, No. 43, No. 78, No. 200, No. 202, No. 217 and No. 221 as are situated within the State of Chhattisgarh and National High- way Nos. 111 and 216.	State Government of Chhattisgarh"

[F. No. NH-14013/9/2006-P & M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.